



IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड



CIN-L 23201 MH 1959 GOI 011388

जमू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल पम्प) के लिए भूमि की आवश्यकता निम्नलिखित स्थानों पर रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एकमुश्त बिक्री या पट्टा (न्यूनतम 19 वर्ष 11 माह नवीनीकरण विकल्प के साथ) के माध्यम से भूखण्ड के स्थानांतरण के लिए इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि को अपने कब्जे में भूमि का वैध एवं स्पष्ट विपणन अधिकार रखने वाली इच्छुक पार्टीयों से दो अलग—अलग लिफाफों (एक लिफाफे में साइट का तकनीकी विवरण और दूसरे में वित्तीय प्रस्ताव हो) में मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र. सं.	राज्य	स्थेच	एनएच नं.	न्यूनतम प्लॉट एरिया परिमाप
1	जमू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश	काजीगुंड, अनंतनाग से लसजन, श्रीनगर तक (एनएच-44 पर काजीगुंड से श्रीनगर तक दाईं तरफ)	एनएच 44 (पूर्व एनएच 1A)	प्लॉट एरिया 60 मीटर न्यूनतम अग्रभाग के साथ न्यूनतम 1.5 एकड़ होना चाहिए। तथापि उच्च आकार के प्लॉट को प्राथमिकता दी जाएगी।
2	जमू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश	एनएच-44 पर लखनपुर बार्डर से कुंजवानी चौक के बीच (पठानकोट से जमू जाते समय बाईं तरफ)	एनएच 44 (पूर्व एनएच 1A)	
3	जमू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश	एनएच-44 पर लखनपुर बार्डर से कुंजवानी चौक के बीच (पठानकोट से जमू जाते समय दाईं तरफ)	एनएच 44 (पूर्व एनएच 1A)	
4	जमू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश	काजीगुंड एवं लसजन, श्रीनगर के बीच बाईं तरफ	एनएच 44 (पूर्व एनएच 1A)	

उपरोक्त के संदर्भ में, कृपया निम्नलिखित को नोट करें:

1. यह विज्ञापन भूमि की अधिग्रापित के लिए है और किसी डीलरशिप के लिए प्रस्ताव नहीं है।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित भूमि टोल ब्रिया या एनएच—एसडीआर क्रॉसिंग से 1 किमी. के दायरे में नहीं होनी चाहिए और राजमार्ग पर उसी तरफ नजदीकी वर्तमान रिटेल आउटलेट से न्यूनतम 1 किमी. दूर होनी चाहिए।
3. प्रस्तावित भूखण्ड का अग्रभाग राजमार्ग/मूल्य सड़क से जुड़ा होना चाहिए और सड़क से भूखण्ड में जाने के लिए पहुंच सड़क होनी चाहिए।
4. निवादादाता को सभी सांविधिक अदायगी जैसे शहरी भूमि सीमा, गैर—कृषि भूमि में परिवर्तन, आयकर आदायगी, गैर—ऋणप्रस्त प्रमाणपत्र आदि की व्यवस्था करनी होगी।
5. निवादादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित भूखण्ड भा.रा.रा.प्रा. की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
6. भूमि प्रधानतः समतल होनी चाहिए, यह सड़क के लेवल तक या आसपास हो एवं एक साथ सटी होनी चाहिए।
7. प्रस्तावित भूखण्ड के ऊपर कोई उच्च बोल्टेज विद्युत लाइन/उत्पाद/पानी की लाइन/कैनाल/ड्रेनेज/नाला/सार्वजनिक सड़क/रेलवे लाइन आदि नहीं होने चाहिए।
8. प्रस्तावित भूखण्ड सभी ऋणभार/अतिक्रमण/धार्मिक अवसंरचना आदि से मुक्त होना चाहिए। प्रस्ताव के साथ इस संबंध में नोटरी द्वारा विधिवत् सत्यापित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
9. यदि भूखण्ड का सम्पूर्ण भाग एक स्वामी का नहीं है तो सभी भूमि मालिक जिनके भूखण्ड एक साथ सटे हुए हैं और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वह एक पंजीकृत पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। यद्यपि, इंडियनऑयल केवल पॉवर ऑफ अटार्नी धारक से ही लेनदेन करेगा। प्रस्ताव के साथ प्रत्येक भूमि मालिक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटार्नी की प्रति जमा करनी होगी।
10. जिला प्राधिकरण एवं अन्य सरकारी निकाय भी इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। उपयुक्त पाये जाने पर सरकारी भूमि को प्राथमिकता दी जाएगी।
11. कृषि भूमि का प्रस्ताव देने वाले भूमि मालिकों को इसे अपने खर्च एवं लागत पर गैर—कृषि भूमि विशेषतः रिटेल आउटलेट/बुनियादी सुविधाओं और अन्य सम्बद्ध प्रयोजनों में प्रयोग के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करना होगा।
12. इंडियनऑयल के अनुमान के अनुसार, वाणिज्यिक मूल्यांकन पर निम्नलिखित लागतों पर भी विचार किया जाएगा (i) चारदीवारी/हृप्य पाइप आदि की लागत के साथ भूमि की भराई/समेकन/कटिंग के साथ—साथ प्रस्तावित भूमि को सड़क के स्तर तक लाने के लिए उतार—चढ़ाव का विकास (ii) अन्य भौतिक मापदंड जैसे टेलीफोन/बिजली के लाइनों को स्थानांतरित करना/विछाने की लागत।
13. दलाल/प्रोपर्टी डीलर आवेदन न करें।
14. इंडियनऑयल किसी भी तरह से दरी, डाक/फैक्स द्वारा भेजे गए दस्तावेज प्राप्त न होने, गुम होने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। प्राप्त किए गए कोटेशन मात्र एक प्रस्ताव हैं जो इंडियनऑयल को किसी भी तरह बाध्य नहीं करते हैं।
15. इंडियनऑयल बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

प्रस्ताव निमानुसार दो निवादा प्रणाली में जमा किए जाने चाहिए:

(क) तकनीकी निवादा: तकनीकी निवादा के अंतर्गत विधिवत् हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तावित भूखण्ड के विवरण जमा किए जाने चाहिए। तकनीकी निवादा में भूमि का किसी भी प्रकार का प्रस्तावित मूल्य/भूमि की लागत नहीं होनी चाहिए। निवादादाता को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:

- (i) भूमि के स्वामी(यों) का नाम
- (ii) भूखण्ड की सम्पत्ति अवस्थिति को दर्शाते विवरणों के साथ मूल्य योजन
- (iii) भूखण्ड की नाप के साथ विक्री/पट्टे के लिए प्रस्तावित क्षेत्र
- (iv) '7/12' उद्धरण या इसके समकक्ष विवरण जैसे खतोनी, जमाबंदी, खसरा, गिरदवारी आदि और टाइटल डॉड जैसे विक्री डॉड आदि जिसमें सत्य प्रतिलिपि के रूप में विधिवत् संलग्न/प्रमाणित भूमि का स्वामित्व दर्शाया गया हो।
- (v) पॉवर ऑफ अटार्नी धारक को पंजीकृत पावर ऑफ अटार्नी की प्रति जमा करनी होगी।

उपरोक्त दर्शाए गए दस्तावेजों/विवरणों के बिना प्राप्त प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा।

टिप्पणी : तकनीकी निवादा को एक अलग लिफाफे में रखकर उसके ऊपर 'तकनीकी निवादा' लिखा होना चाहिए।

(ख) वित्तीय निवादा: वित्तीय निवादा के साथ निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:

- (i) यह प्रस्ताव बिक्री के लिए या पट्टे के लिए या बिक्री अथवा पट्टे दोनों के लिए है
- (ii) बिक्री की स्थिति में रुपए में अनुमानित बिक्री राशि
- (iii) पट्टे के मामले में, रुपए में अनुमानित पट्टा किराया प्रतिमाह और पट्टे की अवधि

टिप्पणी : वित्तीय निवादा को एक अलग लिफाफे में रखकर उसके ऊपर 'वित्तीय निवादा' लिखा होना चाहिए।

तकनीकी एवं वित्तीय निवादा दोनों लिफाफों को अलग—अलग मुहरबंद कर दोनों को एक तीसरे लिफाफे में रखें और उसे मुहरबंद करके उसके ऊपर ".....स्थान पर भूमि का प्रस्ताव" लिखें।

इच्छुक पार्टीयों नीचे दशाई गई नियत तिथि एवं समय तक या उससे पूर्व नीचे दिए गए पते पर आवेदन कर सकते हैं:

डिविजनल रिटेल सेल्स हैड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जमू डिविजनल कार्यालय, 22 ओ/बी रेल हैड, जैजीए रॉमर्सियल कॉमर्सेक्स, जमू—180004

निवादा जमा करने की अंतिम तिथि 06.05.2022 को 1500 बजे तक है। नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विवाद नहीं किया जाएगा। जमा किए गए प्रस्ताव नियत तिथि या आपसी सहमति से बढ़ाई गई तिथि से 150 दिनों की अवधि के लिए वैध होने चाहिए।